FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुकाम

किशन बनाम राज. राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक

नं. 77 सन् 2021

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 09 R13 CPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8/3/2021	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी मय शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश कर न्यायहित में प्रकरण दर्ज कर एकतरफा बहस सुनने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि माननीय न्यायालय को गुमराह कर वाद किशना बनाम राजस्थान राज्य, जरिए जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 22.01.2021 को डिक्री कराया है। उक्त वाद में दर्ज आराजी ख. नं. 1244 रकबा 2.61 है0 ख. नं0 3028 रकबा 0.08 है0 व ख. नं. 6128/3028 रकबा 0.14 गै. मु. आबादी में प्रार्थी किशना उर्फ शंकर को का पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उक्त निर्णित वाद में किशना उर्फ शंकर में शंकर को विलोपित कर किशना पुत्र मांगीलाल जाट अंकित करने के आदेश दिये गये है। उक्त आराजी की अभी कियान्वति नही हुई है। कियान्वति होने से पूर्व ही प्रार्थी को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो गई और प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पेश कर दिया है। न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त निर्णित वाद में अंकित आराजी में प्रार्थी का हित निहित है और प्रार्थी वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। अतः प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के निर्णय/ आदेश तक वाद संख्या 126/2018 उनवान किशन बनाम सरकार की कियान्वति पर स्थगन प्रदान करें। पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन व अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस से प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के नियमो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	